XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ का न्यायालय
विविध अनुमति वाद सं0–177/2008

बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा 49 (जी0) अंतर्गत

1. श्री जित्तन मूर्मू पिता–[illegible]का मूर्मू, पिता–स्व0 किस्सा मुर्मू,
2. श्री लाला मुमू, पिता–स्व0 किस्सा मुर्मू

दोनों निवासी डगराहा, थाना–के0नगर, अंचल–श्रीनगर, जिला–पूर्णियाँ......................................आवेदक

आ दे श

यह विविध अनुमति वाद बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा 49 (जी) अंतर्गत अपनी लड़की की शादी करने के लिए श्री उमा मंडल, पिता–अनुप लाल मंडल, सा0–सहबज्जा को जमीन बिक्री करने से संबंधी अनुमति हेतु दायर किया गया है।

इस संबंध में विद्वान अंचल अधिकारी, श्रीनगर से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई है। विद्वान अंचल अधिकारी, श्रीनगर ने अपने पत्रांक 259, दिनांक 08.10.2009 के द्वारा प्रतिवेदित किये हैं कि वर्त्तमान में आवेदक के पास 5.80 डी0 जमीन है जिसका लगान वर्ष 2009–10 तक भुगतान कर दिया गया है। धारित जमीन का ब्यौरा:–

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा
डंगराहा	135	18	224	0.64
			170	0.59
			220	0.93
			226	0.23
			228	0.51
			242	0.49
			267	1.42
			269	0.99
				5.80 डि0

बिक्री की जाने वाली जमीन का पूर्ण विवरण:–

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा
डंगराहा	135	18	267	1.42
			269	.99
			270	2.41 डि0

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	

साथ ही यह भी प्रतिवेदित है कि वर्णित जमीन आवेदक जितन मुर्मू के स्व0 दादा के नाम से जमाबन्दी दर्ज है। पिता स्वर्गवास हो चुके हैं। आवेदक ताला मुर्मू के स्व0 पिता के नाम से जमाबंदी दर्ज है। जिस पर आवेदक शान्तिपूर्ण दखलकार है। प्रश्नगत जमीन ब्रिकी करने के पश्चात् आवेदक भूमिहीन के श्रेणी में नहीं आते हैं। भूमि भूहदबन्दी, सैरात, भूदान एवं स्वामित्ववाद से मुक्त है। अंचल अधिकारी द्वारा प्रश्नगत जमीन ब्रिकी करने हेतु अनुमति देने की अनुशंशा की गयी है।

विद्वान अंचल अधिकारी श्रीनगर के प्रतिवेदन एवं आवेदक के आवेदन के आलोक में धारा 49(जी0) बी0टी0एक्ट के तहत आवेदक के अनुरोध को स्वीकृति प्रदान करते हुए जमीन ब्रिकी करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इस निर्णय के साथ ही इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित ।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता,
पूर्णियाँ